भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2986
जिसका उत्तर गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

एफटीसी और एफटीएससी में लंबित मामले

2986 श्री मुकुल वासनिक :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभी कार्यशील फास्ट ट्रैक न्यायालयों (एफटीसी) और फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है ;

(ख) इन न्यायालयों में आज की तिथि तक लंबित मामलों की संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन न्यायालयों में दोषसिद्धि की राज्य-वार औसत दर कितनी है ; और

(ग) इन न्यायालयों में न्यायाधीशों और विशेष सरकारी वकीलों (एसपीपी) के स्तर पर वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या कितनी है और सरकार इन रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा विशेष श्रेणी के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए, उनकी अपेक्षाओं और स्रोतों की उपलब्धता के अनुसार, संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से त्वरित न्यायालय स्थापित किए जाते हैं । उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30.06.2026 तक 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 884 त्वरित न्यायालय कार्यरत हैं । कार्यरत त्वरित न्यायालयों की लंबितता के साथ राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरे **उपाबंध-1** में दिए गए हैं। इन त्वरित न्यायालयों को स्थापित करने के लिए राज्यों को कोई केन्द्रीय सहयोग नहीं प्रदान किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त, तवरित न्यायालयों जिसमें विशिष्ट पॉक्सो (ई-पॉक्सो) सम्मिलित है, अक्तुबर, 2019 तक त्वरित न्यायालयों के स्थापन के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम लाई गई है । ये न्यायालय ब्लात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन अपराधों से संबंधित लंबित मामलों की समयबद्ध सुनवाई और निपटान के लिए समर्पित हैं । उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार देशभर के 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में **399 विशिष्ट पॉक्सो (ई-पॉक्सो)** न्यायालय सहित **779 एफटीएससी** न्यायालय कार्यरत हैं । कार्यरत विशेष त्वरित न्यायालयों के, जिसमें लंबितता सहित पॉक्सो न्यायालय भी सम्मिलित हैं, राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरे **उपाबंध-2** में दिए गए हैं ।

पिछले तीन वर्षों के लिए एफटीएससी की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार दोषसिद्धि दर **उपाबंध-3** में दी गई है ।

(ग) : संविधानिक ढांचे के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और नियुक्ति के संबंध में नियम विरचित करती हैं । तदनुसार, एफटीसी और एफटीएससी सहित जिला और अधिनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों का है ।

****

उपाबंध-1

30.06.2026 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कार्यरत त्वरित न्यायालय (एफटीसीएस)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कार्यात्मक एफटीसी	लंबित मामलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	21	6817
2	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4	असम	17	17145
5	बिहार	0	0
6	चंडीगढ़	0	0
7	छत्तीसगढ	27	5491
8	दादरा और नागर हवेली और दीव दमण	0	0
9	दिल्ली	26	7385
10	गोवा	4	1446
11	गुजरात	54	4896
12	हरियाणा	6	869
13	हिमाचल प्रदेश	3	203
14	जम्मू और कश्मीर	8	1319
15	झारखंड	40	8489
16	कर्नाटक	0	0
17	केरल	0	0
18	लद्दाख	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	0
21	महाराष्ट्र	117	135340
22	मणिपुर	6	131
23	मेघालय	0	0
24	मिजोरम	2	276
25	नागालैंड	0	0
26	ओडिशा	0	0
27	पुदुचेरी	1	4793
28	पंजाब	7	161
29	राजस्थान	0	0
30	सिक्किम	2	18
31	तमिलनाडु	73	89703
32	तेलंगाना	0	0
33	त्रिपुरा	2	911
34	उत्तर प्रदेश	373	1374820
35	उत्तराखंड	7	1217
36	पश्चिमी बंगाल	88	93245
	कुल	**884**	**1754675**

उपाबंध- 2

ई-पॉक्सो न्यायालय सहित कार्यरत एफटीएससी की 30.06.2026 तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार लंबितता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	विशेष पॉक्सो अदालतों सहित कार्यात्मक एफटीएससी	लम्बितता
1	आंध्र प्रदेश	16	5453
2	असम	17	6837
3	बिहार	54	24425
4	चंडीगढ़	1	183
5	छत्तीसगढ	15	1796
6	दिल्ली	16	3179
7	गोवा	1	158
8	गुजरात	35	4923
9	हरियाणा	18	4803
10	हिमाचल प्रदेश	6	469
11	जम्मू और कश्मीर	4	530
12	कर्नाटक	30	5571
13	केरल	55	6612
14	मध्य प्रदेश	67	10943
15	महाराष्ट्र	38	40726
16	मणिपुर	2	20
17	मेघालय	5	1167
18	मिजोरम	3	94
19	नागालैंड	1	44
20	ओडिशा	44	8967
21	पुदुचेरी	1	240
22	पंजाब	12	1413
23	राजस्थान	45	3550
24	तमिलनाडु	20	9065
25	तेलंगाना	36	8806
26	त्रिपुरा	3	241
27	उत्तराखंड	7	1213
28	उत्तर प्रदेश	218	98359
29	पश्चिमी बंगाल	9	6310
	कुल	**779**	**256097**

उपाबंध-3

त्वरित न्यायालय (एफटीएससी) में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार दोषसिद्धि दर

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	औसत दोषसिद्धि दर (%)		
		वर्ष 2023	वर्ष 2024	वर्ष 2025
1	आंध्र प्रदेश	3.97	5.19	5.55
2	असम	16.70	35.00	21.00
3	बिहार	17.29	14.51	9.65
4	चंडीगढ़	67	16.92	18.50
5	छत्तीसगढ	16.88	23.69	14.01
6	दिल्ली	24.94	8.59	10.92
7	गोवा	39	9.69	18.75
8	गुजरात	7.42	9.53	9.34
9	हरियाणा	15.52	40.50	17.00
10	हिमाचल प्रदेश	25.04	8.24	15.50
11	जम्मू और कश्मीर	6	4.50	4.44
12	झारखंड*	21.2	14.78	20.80
13	कर्नाटक	12.54	8.10	7.04
14	केरल	9.9	13.00	14.51
15	मध्य प्रदेश	27.45	14.50	23.32
16	महाराष्ट्र	10.55	6.07	22.22
17	मणिपुर	21.86	7.00	64.70
18	मेघालय	58.49	45.00	52.78
19	मिजोरम	14.14	33.50	58.50
20	नागालैंड	24	25.00	80.00
21	ओडिशा	13.32	10.63	8.43
22	पुदुचेरी	17	17.94	19.00
23	पंजाब	12.46	47.19	23.00
24	राजस्थान	22.6	18.29	16.58
25	तमिलनाडु	28.5	25.82	31.35
26	तेलंगाना	7.12	7.00	20.21
27	त्रिपुरा	6.87	5.30	21.00
28	उत्तराखंड	22.42	22.50	20.20
29	उत्तर प्रदेश	26.49	25.11	25.22
30	पश्चिमी बंगाल	1	2.00	11.00
* झारखंड राज्य ने 07.07.2025 के पत्र द्वारा एफटीएससी स्कीम से बाहर निकलने का विनिश्चय किया है।				

****